न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 157/2015 दायर दिनाँक 14.08..2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. बालुराम पुत्र मोटाराम जाति–जाट, निवासी–अम्बापा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ताराचन्द पुत्र मोटाराम 2. नेमाराम पुत्र मोटाराम 3. पन्नाराम पुत्र मोटाराम 4. जड़ाव पत्नि मोटाराम 5. प्रसाराम पुत्र वोदुराम 6. रामेश्वर पुत्र हेमाराम 7. मूलाराम पुत्र हेमाराम 8. मोतीराम पुत्र हेमाराम 9. फुलादेवी पत्नि हेमाराम समस्त जाति जाट निवासी–अम्बापा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 10. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक ललासरी 11. मैनेजर एस.बी.बी.जे. शाखा डीडवाना 12. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीर सिंह बलारा वकील, वादी।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **19.02.2020**

सरहद लुणोदा के खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 52.07 विघा, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.16 विघा, खसरा नम्बर 18 रकबा 51 विघा व सरहद देवराठी के खसरा नम्बर संख्या 145/292 रकबा 57.17 विघा एवं सरहद अम्यापा के खसरा नम्बर 104 रकबा 37.19 बिघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 25.11..2016 को तहसीलदार डीडवाना निर्देश दिया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 157/2015 दायर दिनाँक 14.08.2015, निर्णय दिनाँक 19.02.2020 बालुराम बनाम ताराचन्द, वगैरा।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 1532 दिनाँक 17.05.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। उक्त प्राथमिक डिक्रि में नये खसरा सं0 दर्ज हो गये। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। प्राथमिक डिक्रि के समर्थन में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 1532 दिनाँक 17.05.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्रि सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्रि सादिर कर, सरहद लुणोदा के गत खसरा नम्बर 15 जिसमें नये ख0सं0 16 रकबा 0.65है. व ख0सं0 17 रकबा 08.42, गत ख0सं0 16 नये ख0सं0 18 रकबा 0.13, गत ख0सं0 18 नये ख0स0 20 रकबा 0.08 है., ख0स0 21 रकबा 0.02 है., ख0सं0 22 रकबा 0.01 है., ख0स0 23 रकबा 0.06 है., ख0स0 24 रकबा 7.93 है. व ख0सं0 24/619 रकबा 0.16 है. एवं सरहद अम्बापा व देवराठी के गत खसरा नम्बर 104 जिसमें नये ख0स0 155 रकबा 5.66 है. एवं पुराने ख0स0 145/292 में नये ख0स0 257 रकबा 9.36 है. भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1532 दिनाँक 17.05.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1532 दिनाँक 17.05.2019, निर्णय एवं डिक्रि का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्रि जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनाँक **19.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 157/2015 दायर दिनाँक **14.08.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बालुराम पुत्र मोटाराम जाति–जाट, निवासी–अम्बापा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ताराचन्द पुत्र मोटाराम 2. नेमाराम पुत्र मोटाराम 3. पन्नाराम पुत्र मोटाराम 4. जड़ाव पत्नि मोटाराम 5. प्रसाराम पुत्र बोदुराम 6. रामेश्वर पुत्र हेमाराम 7. मूलाराम पुत्र हेमाराम 8. मोतीराम पुत्र हेमाराम 9. फुलादेवी पत्नि हेमाराम समस्त जाति जाट निवासी–अम्बापा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 10. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक ललासरी 11. मैनेजर एस.बी.बी.जे. शाखा डीडवाना 12. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **19.02.2020**

1. यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीर सिंह बलारा वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद लुणोदा के गत खसरा नम्बर 15 जिसमें नये ख0सं0 16 रकबा 0.05 है. व ख0सं0 17 रकबा 08.42 है., गत ख0सं0 16 नये ख0सं0 18 रकबा 0.13 है., गत ख0सं0 18 नये ख0स0 20 रकबा 0.08 है., ख0स0 21 रकबा 0.02 है., ख0सं0 22 रकबा 0.01 है., ख0स0 23 रकबा 0.06 है., ख0स0 24 रकबा 7.93 है. व ख0सं0 24/619 रकबा 0.16 है. एवं सरहद अम्बापा व देवराठी के गत खसरा नम्बर 104 जिसमें नये ख0स0 155 रकबा 5.66 है. एवं पुराने ख0स0 145/292 में नये ख0स0 257 रकबा 9.36 है. भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1532 दिनाँक 17.05.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1532 दिनाँक 17.05.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................. ...खर्चा इस मुकद्‌दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.02.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.03.03 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: